मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद
(मध्यप्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)
नर्मदा भवन (सी ब्लॉक–द्वितीय तल) 59–अरेरा हिल्स, भोपाल–462011

क्रमांक 12207 / NREGS-MP / NR-6 / 09 भोपाल, दिनांक 09 / 09 / 2009

प्रति,

कलेक्टर / जिला कार्यक्रम समन्वयक

जिला– रीवा/ सतना/ सीधी/ सिंगरोली /शहडोल /अनूपपुर /उमरिया/ डिण्डौरी/ जबलपुर/कटनी/ बालाघाट/ नरसिंहपुर/ मण्डला/ सागर/ पन्ना/ टीकमगढ़/ छतरपुर/ रायसेन/ विदिशा/ दमोह/ सीहोर/ ग्वालियर/ गुना/ अशोकनगर/ शिवपुरी/ दतिया/ भिण्ड/ मुरैना/ श्योपुर/ शाजापुर/ देवास/ रतलाम/ खण्डवा/ बुरहानपुर/ बड़वानी/ झाबुआ/ अलिराजपुर (म. प्र.)।

विषय : काम के अधिकार के संबंध में जानकारी का प्रचार–प्रसार।

——0——

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र. के तहत प्रत्येक जॉबकार्ड धारक परिवार को उसकी आवश्यकता अनुसार अधिकतम 100 दिवस के अकुशल मजदूरी का अधिकार है। इस अधिकार का अधिक से अधिक ग्रामीण परिवार लाभ लें। रोजगार की तलाश में मजबूर होकर किसी को गांव छोड़कर उन्हें नहीं जाना पड़े। इसके लिए काम मांगने के अधिकार की जानकारी को व्यापक स्तर पर प्रसारित किया जाना आवश्यक है। इस हेतु निम्नानुसार कार्रवाई की जाना आवश्यक है।

1. ग्रामीण परिवारों के मध्य रोजगार आवेदन पत्र वितरित करा दिए जाए। इससे जॉबकार्ड धारक परिवार को रोजगार की मांग में सुविधा होगी। काम मांगने के अधिकार के संबंध में जागृति आएगी। आवेदन के पिछले पृष्ठ पर श्रमिक अधिकारों के संबंध में संलग्न जानकारी भी अंकित कराई जाए।

2. रेलवे जंक्शन स्टेशनों और बस स्टैंडों पर काम के अधिकार की जानकारी के बैनर लगाए जाए। बैनर आदि में काम की मांग के लिए जिले में किए गए प्रबंधों यथा टोल फ्री क्रमांक, काम मांगने के लिए संपर्क का पता अंकित किया जाए।

संलग्न : नमूना

(रश्मि अरूण शमी)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद
भोपाल, दिनांक 09 / 09 / 2009

पृ. क्र. 12208 / NREGS-MP / NR-6 / 09

प्रतिलिपि:--

उपरोक्तानुसार

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी / अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद

(मध्यप्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)

नर्मदा भवन (सी ब्लॉक–द्वितीय तल) 59–अरेरा हिल्स, भोपाल–462011

(1) **काम मांगने का अधिकार :**

- रोजगार की मांग का लिखित आवेदन करें।
- आवेदन में जॉबकार्ड नम्बर, काम करनेवाले का नाम लिखना होगा।
- जब काम मांगे तब आवेदन की पावती तिथि, हस्ताक्षर सहित प्राप्त करें।
- आवेदक को कब से कब तक कार्य की आवश्यकता है लिखना होगा।
- ग्राम पंचायत द्वारा कार्यस्थल की सूचना दी जाएगी।
- ग्राम पंचायतों में आवेदकों के लिये कार्य उपलब्ध नहीं हो तो निवास ग्राम से पांच किलोमीटर के दायरे में कार्य उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है।
- जॉब कार्ड धारक व्यक्ति किसी भी समय काम की मांग कर सकता है।
- काम की मांग करने वाले व्यक्ति को आवेदन की पावती दिनांक से 15 दिवस में काम मिलेगा।

(2) **कामगारों के अधिकार :**

- प्रत्येक मजदूर को न्यूनतम मजदूरी का वैधानिक अधिकार है।
- स्त्री–पुरुष को समान मजदूरी का अधिकार है।
- मजदूरी का एक सप्ताह में अधिक से अधिक 15 दिवस में बैंक खातों में भुगतान प्राप्त करने का अधिकार है।
- मजदूरी प्राप्त करते समय मस्टर रोल की प्रविष्टियों की जांच का अधिकार हैं।
- यदि कार्यस्थल, निवास से 5 किलो मीटर से अधिक दूरी पर काम मिलता है। यात्रा और निर्वाह भत्ता मिलेगा।
- यात्रा निर्वाह भत्ता न्यूनतम मजदूरी का 10 प्रतिशत होगा।
- कार्यस्थल पर मस्टर उपलब्ध रहते हैं।
- मस्टर की जांच किसी भी समय पर की जा सकती है।
- कोरे मस्टर पर हस्ताक्षर नहीं करने का अधिकार है।

(3) **बेरोजगारी भत्ता मिलने का अधिकार :**

- मांगने पर यदि 15 दिन में काम नही मिलता है तब बेरोजगारी भत्ता मिलेगा।
- बेरोजगारी भत्ते की राशि वित्तीय वर्ष के प्रथम तीस दिवस हेतु न्यूनतम मजदूरी दर के एक चौथाई होती है।
- शेष अवधि के लिये न्यूनतम मजदूरी की आधी दर से बेरोजगारी भत्ता मिलेगा।
- बेरोजगारी भत्ता आवेदन के साथ काम के मांग की तारीख अंकित पावती लगानी होगी।
- आवेदन पत्र कार्यक्रम अधिकारी को प्रस्तुत किये जायेंगे।

(4) **कार्यस्थल पर सुविधाओं का अधिकार :**

- कार्यस्थल पर मेट के पास प्राथमिक चिकित्सा पेटी उपलब्ध रहती है।
- कार्यस्थल पर मजदूरों को पीने के लिये पानी की सुविधा रहती है।
- प्राकृतिक छाया के अभाव पर छाया की व्यवस्था की जाती है।
- कार्यस्थल पर शिशुघर भी बनाया जाता है।
- शिशुघर 6 वर्ष की आयु तक के 5 से अधिक बच्चो पर बनता है।

(5) **शिकायत का अधिकार :**

- जब कोई समस्या/शिकायत हो, तो ग्राम पंचायत में सम्पर्क करें।
- यदि समाधान नहीं होता है तब कार्यक्रम अधिकारी को शिकायत कर सकते हैं।
- कार्यक्रम अधिकारी सात दिवस में शिकायत को दर्ज कर निराकृत करें।
- जिले का दूरभाष हेल्पलाईन (क्रमांक) से भी मदद प्राप्त कर सकते हैं।

(6) **जॉबकार्ड पाने का अधिकार :**

- फोटो लगा जॉबकार्ड निःशुल्क दिया जाता हैं इसके लिए किसी को पैसे नहीं दें।
- प्रत्येक परिवार को एक जॉबकार्ड प्राप्त करने का अधिकार है।
- जॉबकार्ड सदैव अपने पास रखें किसी को भी उसे लेने का अधिकार नहीं है।
- मजदूरी भुगतान के समय समक्ष में जॉबकार्ड में प्रविष्टि करायें।
- यह देखें कि जॉबकार्ड पर गलत प्रविष्टि नहीं हो।
- कार्ड खोने पर ग्राम पंचायत में आवेदन पर नया कार्ड बनेगा।